

पलामू समाहरणालय

प्रपत्र VII

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या :- 270/भू0अ0

पलामू, दिनांक :- 23/7/2019

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना "132/33 के0भी0 ग्रीड सब-स्टेशन छत्तरपुर के निर्माण हेतु" ग्राम-रुदवा, थाना-छत्तरपुर, थाना सं0-279, अंचल-छत्तरपुर, जिला-पलामू में कुल रकबा 0.70 एकड़ यानि 0.283 हे0 भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.70 एकड़ यानि 0.283 हेक्टेयर है और जो ग्राम-रुदवा, थाना-छत्तरपुर, थाना सं0-279, अंचल-छत्तरपुर, जिला-पलामू में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	51	28	बकास्त	टाड़ III	0.17½	चैतन यादव, सुदेश्वर यादव पिता स्व0 तुलसी यादव, तेतर यादव, भोला यादव पिता स्व0 मोती यादव, वृक्ष यादव पिता स्व0 नेमन यादव सा0 रुदवा	प्लॉट नं0-1 का भाग	प्लॉट नं0-32 का भाग	प्लॉट नं0-2 का भाग	प्लॉट नं0-32 का भाग
2.	51	28	बकास्त	टाड़ III	0.35	चन्द्रधन यादव, सीता यादव, मेघनाथ यादव पिता स्व0 विगन यादव व जगदीश यादव पिता स्व0 परमेश्वर यादव व अयोध्या यादव, सरदार यादव पिता स्व0 मटुकधारी यादव एक हिस्सा व परमेश्वर यादव, रामलखन यादव, सीता राम यादव पिता रामदेव यादव, सुन्दरी कुंवर पति स्व0 राजा राम यादव एक हिस्सा	प्लॉट नं0-1 का भाग	प्लॉट नं0-32 का भाग	प्लॉट नं0-2 का भाग	प्लॉट नं0-32 का भाग

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

3.	51	28	बकास्त	टाड़ III	0.08%	मुखदेव यादव, हरिहर यादव, शंकर यादव पिता स्व० विसंभर यादव एक हिस्सा व सुखलाल यादव, कामेश्वर यादव, सुनेश्वर यादव, सिपाही यादव, लालजी यादव पिता स्व० द्वारीका यादव एक हिस्सा वो श्यामसुन्दर यादव पिता स्व० रामकिशुन यादव एक हिस्सा	प्लॉट नं०-1 का भाग	प्लॉट नं०-32 का भाग	प्लॉट नं०-2 का भाग	प्लॉट नं०-32 का भाग
4.	51	28	बकास्त	टाड़ III	0.08%	नरेश यादव पिता स्व० मोसाफिर यादव एक हिस्सा व केशो यादव, लक्ष्मण यादव, रामजी यादव, पाचू यादव, विनोद यादव पिता स्व० रामचन्द्र यादव व लालमनी कुवंर पति स्व० बालगोबिन्द यादव एक हिस्सा	प्लॉट नं०-1 का भाग	प्लॉट नं०-32 का भाग	प्लॉट नं०-2 का भाग	प्लॉट नं०-32 का भाग

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण शून्य है :-
ग्राम-, थाना-, थाना सं०-, अंचल-, जिला-, क्षेत्रफल-, एकड़-, यानि-, हे० जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

10.7.19
कानून

10/7/19
कानूनगो

जिला भू-अर्जन कार्यालय
पलामू।

10/07/19
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पलामू।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

10/7/19
उपायुक्त, पलामू।

10/07/19
कानून